बिहार जलकर प्रबंधन विधेयक —2006

पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग, बिहार पटना से संबंधित जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ; यथा –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ** ः–

(i) यह अधिनियम बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन अधिनियम –2006 कहा जा सकेगा ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(iii) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषायें** ः– जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ः–

(i) "निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति" से अभिप्रेत है वह समिति जो जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निरर्हित पायी गयी हो।

(ii) "आवेदक मछुआ" से अभिप्रेत है वह मछुआ जिसने जलकर की बन्दोबस्ती हेतु समिति को आवेदन दिया हो ।

(iii)"जलकर" से अभिप्रेत है पशुपालन एवं मत्स्य (मत्स्य) विभाग, बिहार, के अधीन तालाब, पोखर, आहर, नदी–नाला, नहर, चौर, ढाब, जलाशय, मन, झील आदि जिनमें मत्स्य , सिंघाड़ा एवं मखाना का उत्पादन होता हो ।

(iv) "जलक्षेत्र" से अभिप्रेत है राजस्व खतियान अभिलेख में अभिलिखित उक्त जलकर का कुल क्षेत्र ।

(v) ''जिला मत्स्य पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा अधिसूचित जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मत्स्यपालक विकास अभिकरण ।

(vi) "परिवार" से अभिप्रेत है पति–पत्नी, अवयस्क पुत्र एवं अविवाहित पुत्रियाँ ।

(vii) "बन्दोबस्ती वर्ष" से अभिप्रेत है एक जुलाई से 30 जून की अवधि, किन्तु सिंघाड़ा एवं मखाना जलकरों के लिए यह अवधि एक अक्टूबर से 30 सितम्बर होगी।

(viii) "मछुआ" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो पेशेवर मत्स्य पालन/शिकारमाही करता हो ।

(ix) "मत्स्यजीवी सहयोग समिति" से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति जिसमें सदस्य केवल मछुआ हो ।

(x) "मत्स्य पालन क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह जलक्षेत्र जिसमें मत्स्य पालन सम्भव हो ।

(xi) "सीमित डाक" से अभिप्रेत है वह डाक जिसमें संबंधित प्रखंड के निवासी मछुआ ही भाग ले सकेंगे , जहाँ जलकर अवस्थित हो ।

(xii) "प्रशिक्षित मछुआ" से अभिप्रेत है वह मछुआ जो मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो ।

(xiii) "स्वयं सहायता समूह" से अभिप्रेत है प्रशिक्षित मछुआ का समूह ।

(xiv)"**<u>प्रबन्ध समिति" से अभिप्रेत है वह समिति जो निम्नलिखत सदस्य को मिलाकर गठित की गयी हो</u>**

(क)	समाहर्त्ता	अध्यक्ष
(ख)	उप विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
(ग)	अपर समाहर्त्ता	सदस्य
(घ).	उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र)	सदस्य
(ड.)	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
(च)	स्थानीय जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी	सदस्य
(छ)	सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
(ज)	सरकार द्वारा मनोनीत प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि	सदस्य
(झ)	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य सचिव

(xv) **<u>"सुरक्षित जमा निर्धारण समिति" से अभिप्रेत है वह समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे</u>**

(क)	उप मत्स्य निदेशक(परिक्षेत्र)	अध्यक्ष
(ख)	सरकार द्वारा मनोनीत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि	सदस्य
(ग)	सरकार द्वारा मनोनीत प्रगतिशील मत्स्य पालक के प्रतिनिधि	सदस्य
(घ)	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य सचिव

3. जलकरों की सूची एवं वर्गीकरण ः–

(i) मत्स्य निदेशालय के अधीन सभी जलकरों की प्रखण्डवार सूची, जिसमें पंचायतवार एवं ग्रामवार, जलकरों का नाम, खतियानी क्षेत्र, जलक्षेत्र रकबा, उत्पादन एवं सुरक्षित जमा राशि उल्लिखित हो, जिला मत्स्य कार्यालय में संकलित एवं संधारित की जायगी ।

(ii) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जलकरों के उत्पादन क्षमता एवं उनके जलक्षेत्र के रकबा के आधार पर जलकरों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जायगा – यथा, उत्तम, मध्यम एवं निम्न ।

4. **सुरक्षित जमा ः–** (i) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा, प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित सभी जलकरों के वार्षिक उत्पादन के आँकड़ों का मूल्यांकन कर जलकरों के वार्षिक उत्पादन क्षमता विनिश्चित की जायगी ।

परन्तु, निदेशक मत्स्य को पाँच वर्षों की अवधि के पूर्व भी किसी जलकर के वार्षिक उत्पादन क्षमता का पुनः मूल्यांकन करने हेतु आदेश सुरक्षित जमा निर्धारण समिति को देने का अधिकार होगा ।

(ii) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित जलकर उत्पाद के बाजार बिक्री मूल्य के आँकडों का मूल्यांकन कर इनका सरकारी बिक्री मूल्य नियत किया जायगा ।

(iii) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद, नियत वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं जलकरों के उत्पाद के बिक्री मूल्य के आधार पर सभी जलकरों का सुरक्षित जमा राशि नियत किया जाएगा ।

परन्तु, किसी भी जलकर का वार्षिक सुरक्षित जमा राशि उसके वार्षिक उत्पादन के मूल्य के दस प्रतिशत से कम या पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(iv) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति को अधिकार होगा कि वह सुरक्षित जमा राशि की वार्षिक वृद्धि हेतु कोई प्रतिशत, जो पाँच प्रतिशत से अनधिक हो, नियत कर सकेगी । समिति द्वारा नियत प्रतिशत के अनुरुप आगामी चार वर्षो में सुरक्षित जमा राशि का नियतिकरण जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायगा ।

5.**बन्दोबस्ती ः–**

(i) जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (ii) में वर्णित सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से पाँच बन्दोबस्ती वर्षो के लिए की जायगी ।

(ii) जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती समाहर्त्ता के अनुमोदन से दस वर्षो के लिए की जायगी।

(iii) इस अधिनियम के प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, निदेशक, मत्स्य द्वारा सरकार के पूर्वानुमोदन से उन जलकरों की बन्दोबस्ती अधिकतम दस वर्षो के लिए, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के साथ की जा सकेगी, जिनका विकास किसी सरकारी या वित्तीय संस्थान या बैंक की योजना के अधीन किया गया हो या किया जा रहा हो अथवा किए जाने का निर्णय हुआ हो ।

6. **दीर्घकालीन बन्दोबस्ती ः–**

(i)प्रबंध समिति द्वारा चयनित चार हेक्टर तक के जलक्षेत्र वाले जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती प्रशिक्षित मछुआ/प्रशिक्षित मछुआरों के स्वयं सहायता समूह के साथ ही की जायगी । केवल उन्हीं जलकरों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की जा सकेगी जो निम्नलिखित में से कम से कम किसी भी एक शर्त्त को पूरा करते हों ः–

(क) वह जलकर जो परता घोषित किया जा चुका हो अथवा परता घोषित किए जाने की प्रक्रिया में हो ।

(ख) वह जलकर जिसकी औसतन गहराई 15 दिसम्बर से 15 जनवरी के बीच चार फीट से कम हो एवं उसकी गहराई वृद्धि करके जल संग्रह क्षमता को बारह मासी बनाने की सम्भावना हो ।

(ग) वह जलकर जिसमें बॉध का विकास कर जल संग्रह क्षमता में वृद्वि की संम्भवना हो ।

(घ) वह जलकर जिसके जल पहुॅच प्रणाली में विकास करके 50 प्रतिशत तक जल संग्रह क्षमता में वृद्वि की सम्भावना हो ।

(ङ) वह जलकर जिसके सम्बन्ध में किसी वित्त प्रदायी संस्था, बैंक या सरकार से उसके समुचित विकास हेतु वित्त पोषण की सहमति पत्र प्राप्त हो ।

(ii) दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों के बन्दोबस्ती की तिथि एवं स्थान की जानकारी के साथ एक नोटिस निबंधित डाक से जिला मत्स्य पदाधिकारी निम्नलिखित को भेजेंगे ः–

(क) संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति जिनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत वह जलकर अवस्थित हो,

(ख) सम्बन्धित पंचायत के मुखिया,

(ग) राज्य स्तरीय मत्स्य सहकारी संघ एवं

(घ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रमण्डलीय उप मत्स्य निदेशक, उप विकास आयुक्त एवं समाहर्त्ता को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करा दें ।

(iii) बन्दोबस्ती की तिथि के कम से कम इक्कीस दिन पहले जलकर का नाम, पूरा पता, सुरक्षित जमा की राशि एवं बन्दोबस्ती की अवधि उल्लिखित करते हुए नोटिस निर्गत की जायगी ।

(iv) एक एकड़ जलक्षेत्र प्रति मछुआ सदस्य की दर से हिताधिकारियों का चयन प्रबंध समिति द्वारा की जायगी। एक से अधिक हिताधिकारियों के चयन होने पर, प्रबंध समिति द्वारा एक ग्रुप लीडर का मनोनयन किया जायगा ।

(v) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उन प्रशिक्षित मछुआ, जो उसी प्रखण्ड के निवासी हो जिसमें जलकर पड़ता हो, से ही दीर्घकालीन बन्दोबस्ती हेतु आवेदन प्राप्त किया जायगा । एक से अधिक प्रशिक्षित आवेदनकर्त्ता होने की दशा में जलकर से निकटतम निवास करने वाले मछुआ या मछुआ समूह के साथ जलकर की बन्दोबस्ती की जायगी ।

(vi) बन्दोबस्ती के उपरांत जलकर पर ऋण प्राप्त करने हेतु समाहर्त्ता प्रभार सृजित करेंगे ।

(vii) हिताधिकारियों के साथ बन्दोबस्ती निम्नलिखित शर्तों पर की जायगी –

(क) बन्दोबस्ती के आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर निबंधित एकरारनामा निष्पादित करना अनिवार्य होगा । निबंधन पर होने वाले व्यय का वहन हिताधिकारियों द्वारा किया जायगा ।

(ख) बन्दोबस्ती के आदेश निर्गमन के 15 दिनों के भीतर एक वर्ष की सुरक्षित जमा की राशि एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा और बन्दोबस्ती की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई के पूर्व सुरक्षित जमा की राशि जमा की जायगी ।

(ग) बन्दोबस्ती आदेश निर्गत होने की तिथि से दो वर्षो के भीतर हिताधिकारियों को जलकर का विकास करना अनिवार्य होगा ।

(घ) हिताधिकारियों द्वारा बन्दोबस्ती के किसी शर्त्त के उल्लँघन किए जाने पर समाहर्त्ता द्वारा हिताधिकारियों को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकेगा ।

7. **अल्पकालीन बन्दोबस्ती** ः–

(i) दीर्धकालीन बन्दोबस्ती हेतु चयनित जलकरों को छोड़कर अन्य सभी जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती प्रखण्ड के भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत अव्यतिक्रमी मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ सुरक्षित जमा राशि पर या निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मछुआ सदस्यों के साथ की जायगी ।

(ii) जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती के अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नलिखित होंगे ः–

(क) पॉच हजार रूपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी,

(ख) पॉच हजार से अधिक एवं बीस हजार रूपये तक वार्षिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों के लिए परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक,

(ग) बीस हजार रुपये से अधिक एवं एक लाख रुपये तक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों के लिए निदेशक मत्स्य एवं

(घ) एक लाख रुपये से अधिक सुरक्षित जमा वाले सभी प्रकार के जलकरों की बन्दोबस्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

परन्तु, राज्य सरकार को उपर्युक्त विहित राशि की सीमा को प्रत्येक पॉच वर्षों के अन्तराल के बाद राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पुनः विनिश्चित करने की शक्ति होगी ।

(iii) जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिए गए आवेदन के साथ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों द्वारा निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा ः–

(क) चालू वित्तीय वर्ष से पूर्व के दो वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वर्त्तमान वर्ष का अंकेक्षण शुल्क भुगतान से संबंधित सहकारिता विभाग का प्रमाण पत्र,

(ख) अंतिम निवार्चन का प्रमाण पत्र, वैध सदस्यता सूची एवं समिति के कार्यक्षेत्र का सबूत,

(ग) गत वर्ष के वार्षिक आम सभा की कार्यवाही जिसमें समिति द्वारा सदस्यों के साथ की गई बन्दोबस्ती का स्पष्ट विवरण हो एवं

(घ) समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा अनुमोदित ग्रामवार एवं पंचायतवार जलकरों की सूची के साथ आवेदक मछुआ सदस्य/सदस्यों का नाम जिसके साथ बन्दोबस्ती प्रस्तावित है । यदि एक से अधिक सदस्यं के साथ किसी जलकर की बन्दोबस्ती प्रस्तावित हो तो ग्रुप लीडर का नाम ।

(iv) जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा 31 मार्च के पूर्व प्रखण्डवार सभी सम्बन्धित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को आगामी बन्दोबस्ती की तिथि, स्थान एवं उनके हिस्से के जलकरों के अनुपात की जानकारी के साथ एक सूचना निबंधित डाक द्वारा दी जायगी । इस सूचना की प्रति जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक, सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंचायत समिति के प्रमुख को इस अनुरोध के साथ दी जायगी कि वे अपने कार्यालय के सूचना–पट पर इसे प्रदर्शित करा दें। सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों के लिए यह सूचना 30 जून के पूर्व भेजी जायेगी।

(v) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन सभी अनुलग्नकों के साथ 30 अप्रील के पूर्व देना अनिवार्य होगा परन्तु विशेष परिस्थिति में समाहर्त्ता लिखित रुप में अभिलिखित कारणों से, 31 मई तक समिति से आवेदन प्राप्त करने का निदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दे सकेंगे । सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों के लिए बन्दोवस्ती हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी। समाहर्त्ता द्वारा विशेष परिस्थति में, निदेश लिखित रुप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, 31 अगस्त तक समिति से आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दे सकेंगे।

(vi) आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन की जॉच कर ली जायगी । यदि कोई आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा संबंधित समिति को त्रुटि सुधार के लिए पन्द्रह दिनों का समय देते हुए निबंधित डाक द्वारा सूचना दी जायगी । यदि आवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह तक त्रुटियों के सम्बन्ध में समिति को कोई सूचना नहीं दी जाती है तो यह माना जायगा कि समिति बन्दोबस्ती पाने हेतु सक्षम है ।

(vii) यदि समिति द्वारा दिए गए भूल/सुधार किया गया आवेदन त्रुटि मुक्त पाया जाता है तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समिति को जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु आदेश 15 जून के पूर्व निर्गत किया जाएगा

किन्तु 15 जून के बाद बन्दोबस्ती हेतु ऐसा आदेश समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरान्त ही निर्गत किया जा सकेगा । सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों की बन्दोवस्ती हेतु आदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा 15 सितम्बर के पूर्व निर्गत किया जायेगा किन्तु 15 सितम्बर के बाद समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत ऐसा ही आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

(viii) यदि प्रखंड में एक से अधिक मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ बन्दोवस्ती हेतु पात्र हो तो उनके बीच जलकरों की बन्दोवस्ती सभी वर्ग के जलकरों की संख्या एवं उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में बन्दोवस्ती की जायगी ।

(ix) प्रखण्ड में निरर्हित समितियों के हिस्से के जलकरों की बन्दोबस्ती उन समितियों के अव्यतिक्रमी मछुआ सदस्यों, जो जलकर के प्रखंड के निवासी हों, के बीच ही सीमित डाक द्वारा पाँच वर्षों के लिए की जायगी । परन्तु एक व्यक्ति के साथ एक जलकर की ही बन्दोवस्ती की जायेगी ।

(x) दो बार सीमित डाक से बन्दोबस्ती के प्रयास के बाद भी बन्दोबस्ती नहीं होती है तो खुले डाक से धारा – 8 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।

(xi) पन्द्रह हजार रुपये से उपर सुरक्षित जमा वाले जलकरों की सीमित/खुली डाक परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में पाँच वर्षों के लिए की जाएगी ।

(xii) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के साथ बन्दोबस्ती निम्नलिखित शर्तो पर की जायगी ः–

(क) यदि बन्दोबस्त जलकरों के वार्षिक सुरक्षित जमा राशि का योग बीस हजार रूपये से कम हो तो बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर कुल राशि एक मुश्त जमा की जायगी ।

(ख) यदि बन्दोबस्त जलकरों के वार्षिक सुरक्षित जमा का योग बीस हजार रूपये से अधिक हो तो कुल वार्षिक सुरक्षित जमा राशि का पचास प्रतिशत या बीस हजार रूपये, जो भी अधिक हो, बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर एवं द्वितीय किस्त की अदायगी 31 जनवरी के पूर्व की जायगी। किन्तु सिंघाड़ा एवं मखाना सह मत्स्य जलकरों के लिए द्वितीय किस्त की अदायगी 31 मार्च के पूर्व की जायेगी।

परन्तु उन्हीं समितियों को कुल सुरक्षित जमा राशि की अदायगी दो किस्तों में करने की सुविधा दी जायगी जिन समितियों ने अपने सदस्यों को यह सुविधा दी हो ।

(ग) यदि नियत तिथि तक राशि जमा नहीं की गयी हो तो जिला मत्स्य पदाधिकारी समिति को तत्क्षण कारण पृच्छा नोटिश जारी करेंगे और इसके पन्द्रह दिनों के बाद बन्दोबस्ती के दावा को अभिलिखित कारण दर्शाते हुए उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) के अनुमोदन से रद्द कर सकेंगे । यदि बन्दोबस्ती रद्द की जाती है तो इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (ix) के प्रावधान के अनुसार इस समिति के सदस्यों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती करेंगे ।

(घ) समितियों द्वारा सदस्यों के साथ जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि सरकारी सुरक्षित जमा राशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ङ) बन्दोबस्ती के इक्कीस दिनों के भीतर समिति औपबन्धिक पट्टा निर्गत कर उसकी ग्रामवार एवं पंचायतवार सूची, बन्दोबस्ती द्वारा सदस्यों से प्राप्त राशि की सूची एवं सुरक्षित जमा की प्रथम किस्त की राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायगी । इनकी प्राप्ति के एक पक्ष के

भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित जलकरों की सूची की जाँच करते हुए सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर परवाना निर्गत किया जायगा ।

परन्तु यदि समिति द्वारा की गई बन्दोबस्ती इस अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अतिलंघत में हो, तो जलकर विशेष की बन्दोबस्ती में सुधार कराकर ही उक्त जलकर का परवाना निर्गत किया जायगा। औपबन्धिक परवाना निषेध रहेगा ।

(च) समिति को परवाना निर्गत करने के दो सप्ताह के भीतर जिला मतस्य पदाधिकारी द्वारा उसके साथ निबंधित एकरारनामा किया जायगा ।

परन्तु उक्त अवधि बीत जाने के बाद भी समाहर्त्ता द्वारा एक माह के अंदर एकरारनामा करने का आदेश दिया जा सकेगा । यदि समिति द्वारा विस्तारित अवधि में एकरारनामा नहीं किया जाय तो जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उससे कारण पृच्छा कर समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरान्त बन्दोबस्ती को रद्द किया जा सकेगा । निबंधन पर व्यय का वहन समिति द्वारा किया जायगा ।

(छ) सुरक्षित जमा निर्धारिण समिति द्वारा सुरक्षित जमा की राशि की वार्षिक वृद्धि हेतु अनुशंसित प्रतिशत को समाविष्ट करने के बाद सुरक्षित जमा की राशि की अदायगी की जायगी ।

(ज) समिति द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उनके वरीय विभागीय पदाधिकारी के माँग पर जलकरों के वितरण संबंधी सभी अभिलेख/पंजी/कागजात उपलब्ध कराया जायगा ।

(झ) समिति द्वारा बन्दोबस्ती के किसी शर्त्त के उल्लंघन किए जाने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समाहर्त्ता के अनुमोदनोपरांत बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकेगा । परन्तु समाहर्त्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व समिति को अपना पक्ष रखने एवं सुधार करने का एक अवसर दिया जाएगा ।

(ञ) यदि समिति किसी जलकर विशेष अथवा सभी जलकरों को चालू बन्दोवस्ती की अवधि समाप्त होने से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष से बन्दोवस्ती लेने से लिखित अनिच्छा व्यक्त करती है और समिति अपने आवेदन के साथ कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव संलग्न करती है तो आगामी वित्तीय वर्ष से उस जलकर/जलकरों की बन्दोवस्ती रद्द कर सुरक्षित जमा की वैध अवधि तक बन्दोवस्ती धारा – 8 में विहित प्रक्रिया की अनुपालन की जायेगी ।

8. सीमित डाक द्वारा जलकरों की बन्दोबस्ती ः–

(i)जलकरों की डाक की तिथि एवं स्थान की सूचना के साथ एक नोटिस निबंधित डाक से निम्नलिखित को भेजी जायगी ः –

(क)निरर्हित मत्स्यजीवी सहयोग समिति, जहाँ उसके सदस्यों के बीच सीमित डाक प्रस्तावित हो ।

(ख) सम्बन्धित पंचायत के मुखिया

(ग) पंचायत समिति के प्रमुख

(घ) पूर्व बन्दोबस्तधारी सदस्य या पूर्व ग्रुप–लीडर

(ङ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रमण्डलीय उप मत्स्य निदेशक, उप विकास आयुक्त एवं समाहर्त्ता को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करा दें ।

(ii) डाक की नोटिस में जलकर का नाम, पूरा पता, रकबा (क्षेत्र), सुरक्षित जमा की राशि, बन्दोबस्ती की अवधि एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख होगा । यह सूचना डाक की तिथि से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व निर्गत की जायगी ।

(iii) डाक में केवल वे व्यक्ति भाग ले सकेंगे जो सुरक्षित जमा की पूरी राशि प्रतिभूति के रुप में बोली लगाने से पूर्व जमा करेंगे ।

(iv) यदि उच्चतम डाक वक्ता अगले दो कार्य दिवस के भीतर में विहित की गयी राशि जमा करने में असफल हो जाता हैं तो द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती लेने का अवसर दिया जायगा और प्रथम उच्चतम डाक वक्ता की प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायगी ।

(v) यदि द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता अपने बोली की राशि अगले दो कार्य दिवस के भीतर जमा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी भी प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जायगी और क्रमवार अंतिम उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती लेने का अवसर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार दिया जायगा ।

(vi) बोली लगाने की विहित राशि के जमा के बाद, ऑफरमनी पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

(vii) बोली लगाने की विहित राशि जमा करने के एक सप्ताह के भीतर सफल डाक वक्ता को शिकारमाही का परवाना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरान्त निर्गत किया जाएगा ।

(viii) परवाना निर्गत करने के एक माह के भीतर निबंधित एकरारनामा करना होगा । निबंधन पर व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जाएगा ।

9. जलकरों की एक मुश्त बन्दोबस्ती ः–

(i) प्रखण्ड में स्थित सभी जलकरों की अल्पकालीन बन्दोबस्ती एक साथ, एक ही बन्दोबस्ती वर्ष में की जाएगी ।

(ii) इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व बन्दोबस्त जलकरों की बंदोबस्ती पूर्व नियत अवधि समाप्त होने के बाद, इस अधिनियम के अधिनियमितिकरण के बाद प्रखण्ड में प्रथम लॉट के जलकरों के अवशेष अवधि के लिए ही की जायगी ।

(iii) यदि जलकर/जलकरों की बन्दोबस्ती निर्धारित तिथि के पूर्व रद्द कर दी गयी हो तो उसकी बन्दोबस्ती पुनः दो माह के अन्दर प्रथम लॉट के जलकरों की बन्दोबस्ती के अवशेष अवधि के लिए ही की जायगी ।

(iv) इस अधिनियम के अधिनियमितिकरण के बाद पूर्व से बन्दोबस्त अप्रैल श्रेणी की बन्दोबस्ती का अवधि विस्तार तीन माह का अनुपातिक राजस्व लेकर पूर्व पट्टेदार को तीस जून तक किया जाएगा।

10. जलकरों का वितरण ः–

(i) जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन देने के पूर्व समिति बन्दोबस्ती लेने हेतु इच्छुक अपने मछुआ सदस्यों से प्राप्त आवेदन को सूचीबद्ध करेगी । प्राप्त आवेदनों में जलकरों एवं सदस्यों के नाम के साथ ग्राम एवं पंचायत का उल्लेख होना चाहिए ।

(ii) सूचीबद्ध आवेदनों पर समिति की प्रबन्धकारिणी द्वारा विचारोपरान्त, सदस्यों को जलकरों के प्रस्तावित वितरण की एक सूची निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जायगी ः–

(क) सामान्यतया जिस गाँव में जलकर अवस्थित है उसी गाँव के सदस्यों के बीच जलकर का वितरण प्रस्तावित होगा । यदि उस गाँव में वांछित संख्या में सदस्य उपलब्ध न हों तो समीपस्थ गाँव के अथवा पंचायत के अन्य गाँव के सदस्यों के साथ जलकर का वितरण प्रस्तावित किया जा सकेगा ।

(ख) यथासम्भव, सदस्यों के समूहों के साथ जलकरो को वितरित किया जायगा । समूह के सदस्यों की बैठक कर समिति के अध्यक्ष/सचिव 'ग्रुप लीडर' का चयन करेंगे तथा सभी सदस्यों को उनके अधिकार एवं हिस्सा की जानकारी देंगे ।

(ग) जलकर का वितरण समूह के साथ करने का प्रस्ताव तैयार करते समय सुरक्षित जमा राशि तथा जलक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए समूह कें सदस्यों की संख्या नियत की जायगी ।

11. परता घोषित किया जाना ः– दो बार सीमित डाक के बाद जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अबन्दोबस्त जलकरों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित जमा निर्धारण समिति के समक्ष रखा जायगा । प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों पर विचारोपरांत यह समिति इसके सुरक्षित जमा का पुनर्निधारण कर सकेगी अथवा जलकर को अस्थायी परता घोषित करते हुए उसे दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की श्रेणी में रखने हेतु प्रबंध समिति को अनुशंसा कर सकेगी ।

12. 'रीशिड्यूल्मेन्ट' छूट का दावा ः–

(i) रीशिड्यूल्मेन्ट छूट का दावा केवल प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, सुखाड, बाढ़ या मछलियों में महामारी से हुए नुकसान के मामले में ही किया जा सकेगा । अन्य कारणों से हुए नुकसान के लिए छूट का दावा अनुमान्य नहीं होगा ।

(ii) समिति द्वारा रीशिड्यूल्मेन्ट छूट के दावा का आवेदन प्राकृतिक आपदा अथवा मछलियों में महामारी के घटित होने के दो माह के भीतर जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में लिया जाएगा । आवेदन के साथ समिति की प्रबन्धकारिणी की बैठक की कार्यवाही की प्रति, जिसमें सदस्यवार प्रस्तावित रीशिड्यूल्मेन्ट की अवधि छूट की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो, संलग्न की जायगी ।

(iii) जिला पदाधिकारी से प्राकृतिक आपदा से संबंधित प्रमाण पत्र एवं /या क्षेत्रीय उप निदेशक (मत्स्य) द्वारा महामारी से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही किया गया दावा पर प्रबन्ध समिति विचार कर सकेगी ।

(iv) छूट की राशि अगली किश्त की राशि से अनधिक एवं रीशिड्यूल्मेन्ट छूट की अवधि बन्दोबस्ती की शेष अवधि से अनधिक होगी ।

(v) विधिवत छूट के दावे पर जबतक सरकार का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है तबतक समिति को बकायादार नहीं माना जाएगा ।

13. **प्रतिषेध** ः–

(i) 15 जून से 15 अगस्त तक की समयावधि में नदियों में शिकारमाही प्रतिषेध होगी ।

(ii) 4 से॰मी॰ से कम का फासा जाल (गिलनेट) नदियों में प्रतिषेध होगा ।

(iii) पालने वाली मछलियों के किसी भी नस्ल की अंगुलिकाओं की शिकारमाही नदियों में प्रतिषेध होगी ।

(iv) मछलियों के आने–जाने के रास्ते पर बाड़ी या किसी प्रकार का घेरा नदियों एवं जलाश्यों में प्रतिषेध होगा ।

(v) सभी शिकारमाही हेतु डायनामाईट या विस्फोटक पदार्थ, जहर या अन्य जहरीले पदार्थों का उपयोग प्रतिषेध होगा ।

(vi) तालाबों, चौर एवं मनों से सिंचाई हेतु जल निकासी प्रतिषेध रहेगा । इन जलकरों में कम–से–कम औसतन पाँच फीट जलस्तर होने पर सिंचाई हेतु जल निकासी का आदेश जिला मत्स्य पदाधिकारी दे सकेंगे ।

14. **अपील एवं रिविजन ः–**

(i) जलकरों के अल्पकालीन बन्दोबस्ती के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निदेशक द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के विरूद्ध अपील निदेशक मत्स्य के समक्ष दाखिल किया जा सकेगा ।

(ii) समहार्त्ता एवं निदेशक मत्स्य द्वारा लिए गए सभी निर्णय के विरूद्ध अपील विभागीय आयुक्त के न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा ।

(iii) जलकरों के अल्पकालीन बन्दोवस्ती के लिये सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील सदस्य राजस्व पर्षद के न्यायालय में दाखिल किया जा सकेगा ।

(iv) मूल आदेश की तिथि से तीस दिनों के अन्दर अपील दायर किया जा सकेगा ।

अपील का निष्पादन सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का एक अवसर देते हुये दो माह के अन्दर अनिवार्य रुप से कर दिया जायेगा । इस निष्पादन में कोई अंतरिम आदेश/स्थगनादेश पारित नही किया जायगा । अपील की अवधि में किसी पक्षकार द्वारा विवादित जलकरों में कोई निवेश नहीं किया जायगा ।

15. **नियम बनाने की शक्ति ः–** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

16. **न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ः–** इस अधिनियम में स्पष्टः उपबंधित के सिवाय, किसी व्यवहार अथवा राजस्व न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन जलकर बन्दोबस्ती सम्बन्धी किसी विवाद के संबंध में अधिकारिता नहीं रहेगी ।

17. **अपराध एवं शस्तियाँ ः–**

(i) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि –

(क) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित काम करने अथवा अपेक्षित जानकारी देने में साशय उपेक्षा करे अथवा इन्कार करे

(ख) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य जानबूझ कर मिथ्या विवरणी बनाये अथवा मिथ्या जानकारी दे,

(ग) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य, इन जलकरों की बन्दोबस्ती किसी गैर मछुआ के साथ करे या गैर मछुआ को अनाधिकृत बिक्रीनामा कर इनमें शिकारमाही का अधिकार दे,

(घ) जलकरों में उद्देश्यपूर्ण जल प्रदूषण, अतिक्रमण, जलकरों के स्वरुप की विकृति एवं

(ड.) जलकर बन्दोबस्ती प्राप्त किसी मत्स्यजीवी सहयोग समिति का कोई अधिकारी अथवा सदस्य मत्स्य निदेशालय के किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद यदि अभिलेख/पंजी सौंपने में असफल हो या सौंपने से इंकार करे या सौपें जाने से अपने को बचाये ।

(ii) कोई भी व्यक्ति जो धारा 13 के उप धारा (i) से (v) तथा इस धारा के उप धारा (i) के अधीन कोई अपराध करेगा वह छः महीने तक के कारावास या पॉच सौ रुपये तक के जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। ऐसा अपराध संज्ञेय होगा ।

18. **अपराध का संज्ञान ः–**

(i) द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी के न्यायालय से अन्यून न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचार नही करेगा ।

(ii) निदेशक, मत्स्य की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन की कोई विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जा सकेगी तथा अभियोजन की मंजूरी देने के पूर्व वह उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देगा ।

19. **कठिनाई दूर करना ः–**

(i) यदि इस अधिनियम के उपंबधों को क्रियान्वित करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार यथापेक्षित राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, कठिनाई दूर करने के प्रयोजन से ऐसा कुछ भी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपंबधों से असंगत न हो ।

(ii) यदि इस अधिनियम के किसी उपंबध की बनावट एवं व्याख्या के संदर्भ में कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार के निर्णय हेतु निर्देशित किया जा सकेगा ।

20. **निरसन एवं व्यावृति ः–**

(i) जलकरों की बन्दोबस्ती एवं अपील संबंधित सभी विभागीय नियम/आदेश/परिपत्र, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, एत्द द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

(ii) इस अधिनियम में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि, अधिनियम, अध्यादेश अथवा किसी अन्य आदेश, नियमावली, विनियमावली, परिपत्र के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, यह अधिनियम अभिभावी होगा । इस अधिनियम के आरम्भ के पूर्व किया गया कुछ भी या की गयी कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई भी कार्रवाई समझी जाएगी , मानो यह अधिनियम तत्समय प्रवृत था।